कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

आदेश

अ. विभिन्न पदों पर पदोन्नत कार्मिकों के पदोन्नति परित्याग किये जाने/माने जाने की दशा में संस्था प्रधान को निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करनी है :–

1. पदोन्नति आदेश का विवरण कार्मिक की सेवा पुस्तिका में अंकन किया जाकर पदोन्नत स्थान के लिए कार्यमुक्त किया जावेगा ।
2. यदि कार्मिक पदोन्नति का परित्याग लिखित में करता है/परित्याग माना जाता है तो संस्था प्रधान को कार्मिक की सेवा पुस्तिका में अंकन किया जाकर, आगामी 2 वर्ष के लिए पदोन्नति हेतु अपात्र माने जाने का विवरण भी लाल स्याही से अंकित किया जाना आवश्यक होगा ।
3. संस्था प्रधान आगामी 04 अगस्त 2015 तक उक्त आशय का अंकन कर पूर्ण विवरण संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी–प्रथम/द्वितीय को अग्रेषित करने के लिए उत्तरदायी होंगे ।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी पदोन्नति परित्याग करने/कार्यभार ग्रहण नहीं करने वालों की संख्यात्मक सूचना संबंधित उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा को 5 अगस्त 2015 को सॉयकाल तक प्रेषित करना आवश्यक होगा ।
5. संबंधित उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा कार्मिकवार एवं विषयवार कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले/पदोन्नति का परित्याग करने वाले कार्मिकों की संख्यात्मक व विवरणात्मक सूचना विभाग के ईमेल आई डी absecsecedu@gmail.comपर 6 अगस्त 2015 तक निदेशालय को भिजवाने के लिए उत्तरदायी होंगे ।

ब. सीधी भर्ती/स्थानान्तरण से पदस्थापित कार्मिकों की संख्यात्मक व विवरणात्मक सूचना उपर्युक्त बिन्दु संख्या 3 व 4 के आधार पर प्रेषित करने का उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रधान का होगा ।

स.संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा इस क्रम में प्रभावी प्रबोधन करेंगे ताकि राज्य सरकार स्वीकृत स्टाफिंग पैटर्न के अनुरूप सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पदों की अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रेषित की जा सके ।

31/7

(सुवालाल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

क्रमांक:–शिविरा/माध्य/संस्था/सी–8/विविध/2015–16

दिनॉक:– 31.07.2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, राज0–जयपुर ।
2. विशिष्ट सहायक,शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान–सरकार
3. निजी सचिव,शासन सचिव, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर
4. निजी सचिव, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
5. समस्त उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–I/II)
7. प्रभारी अधिकारी,कम्प्यूटर अनुभाग,कार्यालय हाजा को विभागीय साईट पर अपलोड बाबत ।
8. रक्षित पत्रावली

31/7

निदेशक

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

प0 1(3)कार्मिक/क-2/75 पार्ट-II   जयपुर, दिनांक: 29-10-2004

समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/उप शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर्स सहित)
सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ ।

परिपत्र

विषय:- विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के लिए प्रश्नावली ।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 28.5.96 के साथ विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष विचार करने के लिए निर्धारित प्रश्नावली में आवश्यक सूचना तैयार कर समिति के समक्ष रखने के निर्देश जारी किये गये थे । प्रश्नावली के साथ एक परिशिष्ठ-डी भी संलग्न किया गया था, जिसमें विचारण क्षेत्र में आने वाले अभ्यार्थियों के संबंध में वरिष्ठता सह पात्रता से संबंधित सूचना तैयार कर समिति को प्रस्तुत की जाती है ।

कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या प0 7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.6.2001 एवं दिनांक 8.4.2003 जारी कर समस्त सेवा नियमों में यह प्रावधान किया गया है कि "ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके दिनांक 1.6.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा । इसी प्रकार सेवारत कर्मचारियों के संबंध में यह प्रावधान किया गया है कि "ऐसे किसी भी व्यक्ति की पदोन्नति पर उस तारीख से जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है पांच वर्ष तक विचार नहीं किया जायेगा, यदि उसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हों" । अतः उक्त सूचना विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष सही-सही प्रस्तुत हो, यह सुनिश्चित करने हेतु परिशिष्ठ-डी में एक नया कालम जोड़ा गया है, जिसमें कर्मचारी की सन्तानों की संख्या का विवरण दिया जाना है।

इसके अलावा कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं. 7(1)कार्मिक/क-2/98 दिनांक 5.8.1998 द्वारा विविध सेवा नियमों में पदोन्नति त्यागने के किये गये प्रावधान के अनुसार पदोन्नति त्यागने वाले कर्मचारियों को आगामी दो भर्ती वर्षों में पदोन्नति के लिये पात्र नहीं माना गया है । अतः इस संबंध में भी इस परिशिष्ठ-डी में नोट संख्या-5 में उनका विवरण दिया जाना संबंधित विभाग के लिए उपयोगी समझा गया है । यही नहीं वर्तमान परिशिष्ठ-डी में वर्णित कुछ बिन्दु वर्तमान समय में अप्रासंगिक एवं अनुपयोगी होने के कारण इन्हें विलोपित करना आवश्यक समझा गया है । इन्हीं कारणों से परिशिष्ठ-डी को अब संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है । .

अतः इस परिपत्र के साथ संशोधित परिशिष्ठ-डी की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि कृपया प्रत्येक विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष प्रश्नावली के साथ इस परिशिष्ठ-डी में वर्णित बिन्दुओं की समस्त सूचना स्पष्ट रूप से अंकित कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें उचित प्रकार से सम्पन्न हो सके ।

(मुकेश शर्मा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय ।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा जयपुर ।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर ।
5. रजिस्ट्रार, राज. सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर।

शासन उप सचिव

P.T.O.

www.rajteachers.com